भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-18-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला कटनी की तहसील कटनी की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा-1 के पटवारी हल्का क्र. 38 से 43, मुड़वारा-2 के पटवारी हल्का क्र. 01 से 27 एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त पहाड़ी के पटवारी हल्का क्र. 44 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील कटनी के राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा-1 के पटवारी हल्का क्र. 38 से 43, राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा-1 के पटवारी हल्का क्र. 38 से 43, राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा-2 के पटवारी हल्का क्र. 38 से 43, राजस्व निरीक्षक वृत्त मुड़वारा-2 के पटवारी हल्का क्र. 44 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील-कटनी नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 34 पटवारी हल्के होंगे और 79 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय कटनी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हिर रंजन राव,** प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-18-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-18-2018-सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-18-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Katni of District Katni from 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 38 to 43 of Revenue Inspector Circle Murwara-1, Patwari Halka No. 01 to 27 of Revenue Inspector Circle Murwara-2 and Patwari Halka No. 44 of Revenue Inspector Circle Pahadi and creates a new Tehsil Katni Nagar by comprising of Patwari Halka No. 38 to 43 of Revenue Inspector Circle Murwara-1, Patwari Halka No. 01 to 27 of Revenue Inspector Circle Murwara-2 and patwari Halka No. 44 of Revenue Inspector Circle Pahadi of Tehsil Katni, in which the total Patwari Halkas shall be 34 and villages Shall be 79. The headquarter of the said Tehsil shall be at Katni.

> By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-19-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, विदिशा जिले की तहसील विदिशा की सीमाएं, उसमें से, राजस्व निरीक्षक वृत्त विदिशा-2 के पटवारी हल्का क्र. 37 से 39, 55, 57 से 64 एवं 66 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 वर्क लोड के पटवारी हल्का क्र. 67, 68, 70 एवं 77 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील विदिशा के राजस्व निरीक्षक वृत्त विदिशा-2 के पटवारी हल्का क्र. 37 से 39, 55, 57 से 64 एवं 66 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 वर्कलोड के पटवारी हल्का क्र. 67, 68, 70 एवं 77 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील विदिशा नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 17 पटवारी हल्के होंगे और 48 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय विदिशा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-19-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-19-2018-सात-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-19-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Vidisha of District Vidisha from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 37 to 39, 55, 57 to 64 and 66 of Revenue Inspector Circle Vidisha-2 and Patwari Halka No. 67, 68, 70 and 77 of Revenue Inspector Circle Vidisha-3 workload, and creates a new Tehsil Vidisha Nagar by comprising of Patwari Halka No. 37 to 39, 55, 57 to 64 and 66 of Revenue Inspector Circle Vidisha-2 and Patwari Halka No. 67, 68, 70 and 77 of Revenue Inspector Circle Vidisha-3 workload, in which the total Patwari Halkas shall be 17 and villages Shall be 48. The headquarter of the said Tehsil shall be at Vidisha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO, Principal Secy.